

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- २२३२

/ FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनांक: देहरादून

२३ मार्च, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में आल्यू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 07.01.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, षौड़ी का 1999/12-1 दिनांक 07-03-2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	On perusal of KML file it is noticed that village is already connected from the road. If the connectivity is required deep inside the village, the same can be proposed from nearby existing road instead of proposing new road from the dense forest area with proposed felling of 142 trees of important species. State govt. may submit clarification in this regard and submit revised proposal accordingly.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आल्यू से चलियापानी तक किया जाना है, चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायण बगड़-परखाल-चौपता पर स्थित है जो कि MRL (Major Road Link) की श्रेणी में है तथा दूसरा मोटर मार्ग रखाल नामक स्थान में ग्राम दुंग्री होते हुए ग्राम आल्यू तक जाता है, इस मोटर मार्ग के End point से ग्राम आल्यू की दूरी लगभग 500 मी० है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उद्देश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आल्यू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (नारायण बगड़ परखाल-चौपता मोटर मार्ग से जोड़ना है क्योंकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुड़ता है व इससे ग्राम आल्यू की महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जिला मुख्यालय चमोली, राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। वहीं अगर ग्राम आल्यू को नजदीकी Existing Road से जोड़ा जाता है तो ऐसा होने से ग्राम आल्यू की महत्वपूर्ण स्थलों से दूरी लगभग 50-60 कि०मी० अधिक हो जायेगी। उक्त प्रस्ताव का गठन Existing Road के End Point को ग्राम आल्यू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायण बगड़ परखाल चौपता) को जोड़ने हेतु किया गया है।
2	State govt. is requested to submit the path distance from the starting point of village to the nearest existing road.	उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि ग्राम आल्यू की नजदीकी Existing Road के End point से पैदल दूरी 500 मी० है।

3	State Govt. is requested to submit the path distance from the starting point of village to the nearest existing road.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि नजदीकी Existing Road से वैकल्पिक मार्ग के स्थिति जियोरेफरेन्स मैप में दर्शा दी गयी है।
4	The proceedings of sub-divisional level committee (SDLC) meeting uploaded online is not properly scanned. State gov. may upload the properly scanned copy of the SDLC meeting proceedings.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि Sub-Divisional Level Committee (SDLC) की प्रति को भली भांति स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
5	As per the DSS analysis of the CA area proposed in civil soyam land, 3 ha. Area found in MDF. DFO may inspect the area submit site inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per ha. Can be accomodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted. State gov. may submit the DGPS map, shape file of the area for afforestation in the civil soyam land identified for raising compensatory afforestation.	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
6	It is seen that the name of CA area is not mentioned in CA maps. State gov. may upload the maps of the CA area mentioning the name of the CA area.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि CA map में वृक्षारोपण स्थल (डुंग्री सिविल) के नाम का उल्लेख कर अपलोड कर दिया गया है।
7	Density mentioned is 0.3 for 142 trees in 1.383 ha area. Appears less, State gov. may clarify and provide the correct information in this regard.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि टंकण की त्रुटिवश क्षेत्र का घनत्व 0.3 हो गया, जबकि क्षेत्र का घनत्व 0.4-0.5 है। संशोधित एन0पी0वी0 की आंकलन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	Name of CA area is not mentioned in CA scheme in part II. State gov. mentioning the name of the CA area.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में स्थल का नाम उल्लेख कर दिया गया है।
9	It is seen that plantation schemes of Rs. 2,76,600.00 and Rs. 32,19,977.00 prepared other than CA uploaded online. State gov. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

पत्रांक १२३२ / FP/UK/ROAD/145620/2021 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी का 1999/12-1 दिनांक 07-03-2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

dc

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,